

3389

MD 10/11/19 संख्या: 3776 / III(2) / 51 (सामान्य) - 13/2019

27/11/19 (PA)

प्रेषक,

ओम प्रकाश,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

महेश्वर  
SAOMI  
11/11/19

1149

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

CECHWJ  
AUCC

लोक निर्माण अनुभाग - 2

दिनांक: 26 सितम्बर, 2019

विषय : लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़क/सेतुओं के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि 30 मीटर से कम स्पान के सेतुओं की Design कराये जाने का कार्य विभाग द्वारा प्राइवेट कन्सल्टेन्ट के माध्यम से कराया जा रहा है, तदोपरान्त Design/Drawing को राजकीय संस्थान से Vetting कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया में अधिक समय अधिक धन के व्यय होने की सम्भावना बनी रहती है।

इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेतुओं के Geotechnical Investigation के पश्चात 30 मीटर तक के स्पान के सेतुओं की Design/Drawing तथा Vetting का कार्य प्रदेश के अन्तर्गत गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर तथा गोविन्द वल्लभ पन्त इंजीनियरिंग कालेज, घुडदौड़ी (पौड़ी) से कराया जाये।

उक्त आदेशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

IT (head)

भवदीय  
Om Prakash  
(ओम प्रकाश)  
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: /III(2)/ 51(सामान्य)-13/2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

एसओ 913 / सामान्य / 19

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं सचिव, लोक निर्माण विभाग, देहरादून। दिनांक: 01-10-19. आज्ञा से,

एक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

(एसओएसओ टोलिया)  
संयुक्त सचिव।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं सचिव, लोक निर्माण विभाग, देहरादून। दिनांक: 01-10-19. आज्ञा से, (एसओएसओ टोलिया) संयुक्त सचिव।